भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2013

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण

†2013. श्री किशोरी लालः

प्रो. सौगत रायः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों, विशेषकर महानगरों में, सार्वजनिक भूमि तथा अतिक्रमित सरकारी भूमि पर आवासीय, वाणिज्यिक एवं संस्थागत भवनों के अनधिकृत निर्माण की बढ़ती घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि पर अथवा सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्मित भवनों को चिह्नित करने हेतु कोई सर्वेक्षण अथवा आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे अवैध निर्माणों की अनुमति प्रदान करने अथवा उन्हें सुगम बनाने के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों, बिल्डरों, डेवलपर्स तथा अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनधिकृत संरचनाओं को हटाने, सार्वजनिक भूमि की बहाली करवाने तथा देशभर में पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित भवन अनुमति एवं निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ड.): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची-।। की प्रविष्टि 18 एवं 35 के अनुसार क्रमशः 'भूमि', 'कोलोनीकरण' तथा 'राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म, भूमि और भवन' राज्य के विषय हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची की प्रविष्टि 2 के अनुसार 'भूमि उपयोग का विनियमन तथा भवनों का निर्माण' शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के विषय हैं। इसलिए भूमि पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)/शहरी स्थानीय निकायों

(यूएलबी) के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। राज्य स्तरीय प्राधिकरण अपने अधिकार-क्षेत्राधीन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

हालाँकि, जहां तक दिल्ली स्थित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) की संपत्तियों का संबंध है, वहां अतिक्रमण के मामलों का निस्तारण प्रशासनिक कार्रवाई तथा सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 जैसे वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है। अन्य राज्यों में स्थित भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) की केंद्र सरकार की रिक्त भूमि के रखरखाव एवं देखभाल का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंपा गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने सूचित किया है कि 20 स्थानों पर अतिक्रमण के मामले पाए गए हैं, जिनमें से कुछ न्यायालयों में विचाराधीन हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) अपने अधिकार-क्षेत्राधीन भूमि की नियमित निगरानी करता है तथा अतिक्रमणों/अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए विधिक कार्रवाई सहित आवश्यक उपाय करता है।
